



2026:AHC:51827

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3384 वर्ष 2026

सर्वेश कुमार और 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम कृष्ण मिश्र, सुरेश चंद यादव
प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., नवनीत चंद्र त्रिपाठी

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम कृष्ण मिश्रा तथा प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.सी. त्रिपाठी को सुना।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री राम कृष्ण मिश्रा ने अपने मुवक्किलों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि वे इस रिट याचिका को, जहाँ तक प्रार्थना के अंतर्गत राहत (a) का संबंध है, आगे नहीं बढ़ाना चाहते; जिसमें दिनांक 28.11.2011 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पिता को सेवा से हटा दिया गया था तथा साथ ही दिनांक 4.8.2023 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपनी राहत को अपने दावे पर विचार किए जाने तक ही सीमित रखा है, जिसमें पारिवारिक पेंशन, डीसीआरजी, का अंतिम भुगतान, जीपीएफ/जीआईएस, अवकाश नकदीकरण जोखिम कोष और अन्य लाभ शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे मृतक लाल बहादुर के कानूनी वारिस हैं, जो प्रतिवादियों के साथ कार्यरत थे।

निवेदन यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के पिता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं तथापि उन्हें देय राशि का भुगतान याचिकाकर्ताओं को किया जाना अनिवार्य है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का अधिनिर्णयन सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अदालत में पेश की गई दलीलों पर विचार करते हुए और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निपटारा किया जाता है। इसके तहत याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करें, इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 चार महीने की अवधि के भीतर डीसीआरजी, जीपीएफ/जीआईएस, अवकाश नकदीकरण जोखिम कोष और अन्य लाभों के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेंगे।

उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिस्पर्धी दावों पर भी विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।